

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ़।

सेवा में,

1. उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य,
अम्बाला, फरीदाबाद व सोनीपत।
2. सहायक श्रम आयुक्त,
सर्कल-3, 4, 6 गुरुग्राम, हिसार, करनाल, सिरसा, यमुनानगर-I

क्रमांक: स्था0/01/2021/ 20920-30

दिनांक: 02/09/2021

Subject:- Regarding providing of email ids (NIC only).

उपरोक्त विषयोक्त पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 17693-730 दिनांक 02.08.2021, स्मरण पत्र-I दिनांक 13.08.2021 व स्मरण पत्र-II दिनांक 24.08.2021 के संदर्भ में।

विषयोक्त मामले में आपको सूचित किया गया था कि आप अपने-2 कार्यालय की ई-मेल आईडी0 (NIC only) बनवाकर मुख्यालय को दो दिन के अन्दर-2 भिजवाना सुनिश्चित करें, परंतु प्राप्त सूचनाओं का अवलोकन करने उपरांत पाया गया है कि आप द्वारा व्यक्तिगत ई-मेल आई.डी. की जानकारी दी गई है, जबकि कार्यालय द्वारा आपको सूचित किया गया था कि आप अपने कार्यालय की ई-मेल आई.डी. (NIC only) बनवाकर सूचित करें।

अतः आपको पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने-2 कार्यालयों से सम्बन्धित एन0आई0सी0 ई-मेल आईडी0 मुख्यालय को दो दिन के अन्दर-2 भिजवाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की देरी के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

कृप्या इसे परम अग्रता दें।


अधीक्षक (स्था0),
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।